

कार्यालय प्रशासक, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन

देहली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर (रीको)
तृतीय तल, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) 302005



क्रमांक:- F.11(13)DMIC/LAO/JPMIA/RR Report/2024-76

दिनांक:- 5-2-25

प्रारूप पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम

उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र- क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (रीको की एक इकाई) के अनुरोध पर राजस्थान में दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत जोधपुर पाली मारवाड़-विशेष विनिधान रीजन में विकसित की जाने वाली प्रस्तावित औद्योगिक टाउनशीप योजना के चरण- 'बी' एवं 'एमएमएलएच' हेतु तहसील रोहट जिला पाली के राजस्व ग्राम दूदली, रोहट, सिणगारी, डूंगरपुर एवं निम्बली ब्राह्मणान की कुल 1086.4494 हैक्टेयर निजी भूमि की अवाप्ति हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत दिनांक 13.02.2024 को अधिसूचना जारी कर अवाप्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

उपरोक्त अवाप्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-1) विभाग द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उपधारा (1) सपठित राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम, 2016 के नियम 5 के प्रावधानों के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किये जाने हेतु एक अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 को 1086.4483 हैक्टेयर की जारी की गई थी, जिसमें उपरोक्त वर्णित पांचों राजस्व गाँवों की भूमि सम्मिलित की गई थी। राज्य सरकार द्वारा निजी भूमि का क्षेत्रफल पूर्व में सहवन के आधार पर 1086.4483 हैक्टेयर के स्थान पर 1086.4494 हैक्टेयर किया गया।

उपरोक्त प्रस्तावित अवाप्ति के परिणाम स्वरूप स्थानिय निवासियों एवं अन्य प्रभावित लोगों पर पड़ने वाले सामाजिक समाघात अध्ययन के लिए उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप-1) विभाग द्वारा नियुक्त एजेंसी मैसर्स प्रभु फाउण्डेशन, सांगानेर जयपुर के द्वारा तैयार सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट का अनुमोदन करते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.12.2023 को लोकसूचना जारी कर यह सुनिश्चित किया गया कि अवाप्ति हेतु चिन्हित की गई 1086.4494 हैक्टेयर भूमि प्रोजेक्ट की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम है और अवाप्ति के परिणाम स्वरूप विस्थापित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों की संख्या भी न्यूनतम है।

My

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

meely

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी प्रकोष्ठ रीको
उद्योग भवन जयपुर

Y

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट एवं धारा 16(1) के अन्तर्गत किये गये सर्वे एवं जनगणना के अनुसार प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब से अवाप्तशुदा भूमि तथा स्थावर सम्पत्तियों का विवरण प्रदर्श-1 संलग्न है। इसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	विवरण	सूचना
1.	प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब से अवाप्तशुदा भूमि तथा स्थावर सम्पत्तियों का विवरण	कुल 1086.4494 हैक्टेयर भूमि अवाप्तिधीन है जिस पर 35 आवासीय मकान एवं 3 व्यवसायिक निर्माण स्थित हैं। विवरण प्रदर्श 1 पर संलग्न है।
2.	अर्जन की जाने वाली भूमि पर मुख्यतः निर्भर भूमि खोने वाले परिवारों तथा भूमिहीन परिवारों का विवरण	ऐसे व्यक्तियों की संख्या 335 है जिनकी सम्पूर्ण कृषि भूमि अवाप्तिधीन है एवं अवाप्ति से प्रभावित होने वाले भूमिहीन परिवारों की संख्या शून्य है। विवरण प्रदर्श-2 पर संलग्न है।
3.	भूमि अवाप्ति से प्रभावित लोकोपयोगी एवं सरकारी भवनों का विवरण	-
4.	भूमि अवाप्ति से प्रभावित सुख-सुविधाओं एवं अवसरचनाओं का विवरण	-
5.	भूमि अर्जन से प्रभावित सामुदायिक संपत्ति का विवरण	-
6.	भूमि अर्जन से विस्थापित होने वाले परिवारों का विवरण	की जा रही भूमि अवाप्ति से लगभग 35 परिवारों के पूर्णरूप से विस्थापित होने की संभावना है जिनकी सूची प्रदर्श-3 पर संलग्न है।
7.	भूमि अर्जन से प्रभावित व्यवसायों एवं जीवन निर्वाह के साधनों का विवरण	की जा रही भूमि अवाप्ति से लगभग 3 व्यवसायों एवं जीवन निर्वाह के साधनों के प्रभावित होने की संभावना है जिनकी सूची प्रदर्श-4 पर संलग्न है।
8.	भूमि अर्जन से प्रभावित हो रहे पेड़, निर्माण एवं अन्य स्थावर संपत्तियाँ	भूमि अवाप्ति से लगभग 74 निर्माण एवं 5515 पेड़ के प्रभावित होंगे, जिनकी सूची प्रदर्श-5 पर संलग्न है।
9.	भूमि अवाप्ति से प्रभावित पिछड़े वर्ग यथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्तियों की सूची	भूमि अवाप्ति से प्रभावित पिछड़े वर्ग यथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्तियों की संख्या 377 है जिनकी सूची प्रदर्श 6 पर संलग्न है।

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएसआईसी प्रलोड रीको
जयपुर

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

10.	भूमि अवाप्ति से प्रभावित भूमिहीन कृषि मजदूरों का विवरण	-
11.	भूमि अवाप्ति के कारण प्रभावित क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं की सूची	भूमि अवाप्ति के कारण प्रभावित क्षेत्र में कुल 7 युवाओं के बेरोजगार होने की संभावना है जिनकी सूची प्रदर्श-7 पर संलग्न है।

इस भूमि के अर्जन के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्वासन हेतु खसरा नम्बर 156 (2.096 हैक्टेयर), ग्राम दूदली, तहसील रोहट, जिला-पाली का "पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र" के रूप में चयन किया गया है।

१७

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

भूमि अवाप्ति अधिष्ठात्री
टीएमआईसी प्रकोष्ठ रीको
नग्नोग भवन जयपुर

घ
वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

दूसरी अनुसूची
[धाराएं 31(1), 38(1) और 105(3) देखिए]
 ऐसे तत्वों के अतिरिक्त, जो पहली अनुसूची में उपबंधित हैं सभी प्रभावित कुटुंबों (ऐसे भू-स्वामी और कुटुंबों दोनों जिनकी जीविका मुख्यतया अर्जित भूमि पर निर्भर हैं) के लिए पुनर्वासना और पुनर्व्यवस्थापन हकदारी के तत्व -

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में आने वाले पूर्णतः विस्थापित परिवारों का विवरण:-

क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	खसरे में निर्मित मकान / स्ट्रक्चर्स की संख्या	प्रभावित व्यक्ति का नाम	देय हकदारी तत्व (Entitlement)							विशेष विवरण
					कुटुंब को देय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि	आवंटित किये जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टि	जीवन निर्वाह भत्ता तथा परिवहन भत्ता	पशु शेड और छोटी दुकान के लिए देय विशिष्टियां	छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टि	प्रभावित परिवारों को रोजगार अथवा वार्षिकी का ब्यौरा	प्रदान की जाने वाली अन्य हकदारियाँ	
1.	दूदली	6\1	1	मनकी पत्नी पुनाराम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
2.	दूदली	31\3	1	अल्पुदेवी पत्नी धालाराम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
3.	दूदली	31\4	1	मूला राम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना	अधिनिर्णय की दिनांक	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के	मकान

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

Handwritten signature
 भूमि अधिधिकार अधिधिकारी
 डी.ए.ए.आई.सी. प्रकोष्ठ रीको पाली
 जयपुर

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	खसरे में निर्मित मकान / स्ट्रक्चर्स की संख्या	प्रभावित व्यक्ति का नाम	देय हकदारी तत्व (Entitlement)							विशेष विवरण
					कुटुम्ब को देय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि	आवंटित किये जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टि	जीवन निर्वाह भत्ता तथा परिवहन भत्ता	पशु शेड और छोटी दुकान के लिए देय विशिष्टियां	छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टि	प्रभावित परिवारों को रोजगार अथवा वार्षिकी का ब्यौरा	प्रदान की जाने वाली अन्य हकदारियाँ	
				पुत्र छेनाराम	रुपये	(वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवारह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	रुपये		- रुपये	रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	
4.	दूदली	31\8	1	संतोष पत्नी भानाराम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवारह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
5.	दूदली	291\31	1	जगनाराम पुत्र मंगनाराम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवारह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
6.	दूदली	291\31	1	बक्ताराम पुत्र मंगनाराम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवारह भत्ते के रूप में तथा	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा	मकान

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

भूमि अधासि अधिकारी
डीएसआईसी प्रकोष्ठ रीको
उद्योग भवन जयपुर

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	खसरे में निर्मित मकान / स्ट्रक्चर्स की संख्या	प्रभावित व्यक्ति का नाम	देय हकदारी तत्व (Entitlement)						विशेष विवरण	
					कुटुम्ब को देय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि	आवंटित किये जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टि	जीवन निर्वाह भत्ता तथा परिवहन भत्ता	पशु शेड और छोटी दुकान के लिए देय विशिष्टियां	छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टि	प्रभावित परिवारों को रोजगार अथवा वार्षिकी का ब्यौरा		प्रदान की जाने वाली अन्य हकदारियों
						वर्गमीटर होगा।	50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु				किया जायेगा	
7.	दूदली	291\31	1	कल्लाराम पुत्र मंगनाराम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
8.	दूदली	298\31	1	पदमाराम पुत्र लुम्बाराम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
9.	दूदली	298\31	1	प्रेमाराम पुत्र लुम्बाराम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
10.	दूदली	67\1	1	भागीरथ पुत्र धन्नाराम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु	मकान

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

Aneels
भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी प्रकोष्ठ रीको
उद्योग भवन जयपुर

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	खसरे में निर्मित मकान / स्ट्रक्चर्स की संख्या	प्रभावित व्यक्ति का नाम	देय हकदारी तत्व (Entitlement)							विशेष विवरण
					कुटुम्ब को देय पुनर्वासन एवं पुनर्वास्यवस्थापन राशि	आवंटित किये जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टि	जीवन निर्वाह भत्ता तथा परिवहन भत्ता	पशु शेड और छोटी दुकान के लिए देय विशिष्टियां	छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टि	प्रभावित परिवारों को रोजगार अथवा वार्षिकी का ब्यौरा	प्रदान की जाने वाली अन्य हकदारियों	
						आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	3000/- रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु				देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	
11.	दूदली	319\69	1	नजीर खाँ पुत्र अकबर खाँ	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
12.	दूदली	319\69	1	अल्ला बक्स पुत्र अकबर खाँ	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
13.	दूदली	319\69	1	शाहिदा पत्नी मिश्रु खाँ	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

भूमि अधिधिकारी
डीपमन्तरीय इकोनॉमिक रीको
अरुण अकबर अकबरपुर

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	खसरे में निर्मित मकान / स्ट्रक्चरर्स की संख्या	प्रभावित व्यक्ति का नाम	देय हकदारी तत्व (Entitlement)							विशेष विवरण
					कुटुम्ब को देय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि	आवंटित किये जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टि	जीवन निर्वाह भत्ता तथा परिवहन भत्ता	पशु शेड और छोटी दुकान के लिए देय विशिष्टियां	छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टि	प्रभावित परिवारो को रोजगार अथवा वार्षिकी का ब्यौरा	प्रदान की जाने वाली अन्य हकदारियों	
							सामान के परिवहन हेतु					
14.	रोहट	514/2	1	बदार राम पुत्र जगनाराम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
15.	रोहट	1192\6 42	1	सूरसिंह पुत्र अर्जुन सिंह	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
16.	रोहट	645	1	जोरा राम पुत्र नैना राम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
17.	रोहट	659\1	1	शफी मोहम्मद पुत्र सत्तर खाँ	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का	मकान

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

मूमि अवाप्ति अधिकाशी
डीएमआईसी प्रकोष्ठ रीको
उद्योग भवन जयपुर

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	खसरे में निर्मित मकान / स्ट्रक्चर्स की संख्या	प्रभावित व्यक्ति का नाम	देय हकदारी तत्व (Entitlement)							विशेष विवरण
					कुटुम्ब को देय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि	आवंटित किये जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टि	जीवन निर्वाह भत्ता तथा परिवहन भत्ता	पशु शेड और छोटी दुकान के लिए देय विशिष्टियां	छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टि	प्रभावित परिवारो को रोजगार अथवा वार्षिकी का ब्यौरा	प्रदान की जाने वाली अन्य हकदारियां	
				एवं अयूब खाँ पुत्र सत्तर खाँ		तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु				वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	
18.	रोहट	728	1	भंवर लाल पुत्र हरलाल	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
19.	सिणगारी	7\16	1	हेमा राम पुत्र उतमाराम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
20.	सिणगारी	7\16	1	मोहनलाल पुत्र उतमाराम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक

रीको पाली

Handwritten signature

भूमि अधिग्रहण अधिकारी
डीएनआईसी प्रकोष्ठ रीको
जद्योग भवन जयपुर

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	खसरे में निर्मित मकान / स्ट्रक्चरर्स की संख्या	प्रभावित व्यक्ति का नाम	देय हकदारी तत्व (Entitlement)							विशेष विवरण
					कुटुम्ब को देय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि	आवंटित किये जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टि	जीवन निर्वाह भत्ता तथा परिवहन भत्ता	पशु शेड और छोटी दुकान के लिए देय विशिष्टियां	छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टि	प्रभावित परिवारों को रोजगार अथवा वार्षिकी का ब्यौरा	प्रदान की जाने वाली अन्य हकदारियाँ	
21.	सिणगारी	11	1	हरिराम राम पुत्र पोखा राम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
22.	सिणगारी	324\13	1	केली देवी पत्नी रिडमल राम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
23.	सिणगारी	old 325\13 New 521\32 5	1	मोहनलाल पुत्र रामकिशन	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
24.	सिणगारी	old 325\13 New 521\32	1	बाबूलाल पुत्र रामकिशन	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक	मकान

क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	खसरे में निर्मित मकान / स्ट्रक्चर्स की संख्या	प्रभावित व्यक्ति का नाम	देय हकदारी तत्व (Entitlement)							विशेष विवरण
					कुटुम्ब को देय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि	आवंटित किये जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टि	जीवन निर्वाह भत्ता तथा परिवहन भत्ता	पशु शेड और छोटी दुकान के लिए देय विशिष्टियां	छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टि	प्रभावित परिवारों को रोजगार अथवा वार्षिकी का ब्यौरा	प्रदान की जाने वाली अन्य हकदारियाँ	
		5				जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु				निकाय द्वारा किया जायेगा	
25.	सिणगारी	328\19	1	हीराराम पुत्र मोबिता राम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
26.	सिणगारी	21\6	1	गोपाराम पुत्र हरिराम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
27.	सिणगारी	22	1	लक्खाराम पुत्र वक्ताराम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
28.	सिणगारी	22	1	अजयराम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी प्रकोष्ठ रीको
उद्योग भवन जयपुर

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	खसरे में निर्मित मकान / स्ट्रक्चर्स की संख्या	प्रभावित व्यक्ति का नाम	देय हकदारी तत्व (Entitlement)							विशेष विवरण
					कुटुम्ब को देय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि	आवंटित किये जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टि	जीवन निर्वाह भत्ता तथा परिवहन भत्ता	पशु शेड और छोटी दुकान के लिए देय विशिष्टियां	छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टि	प्रभावित परिवारो को रोजगार अथवा वार्षिकी का ब्यौरा	प्रदान की जाने वाली अन्य हकदारियाँ	
				पुत्र लेखाराम	रुपये	(वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	से एक वर्ष तक 3000/- रूपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रूपये सामान के परिवहन हेतु	रुपये		- रूपये	रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	
29.	सिणगारी	22\1	1	डूंगरराम पुत्र वक्ताराम	50,000/- रूपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रूपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रूपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रूपये	-	5,00,000/- रूपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
30.	सिणगारी	24\13	1	हनुमाराम	50,000/- रूपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रूपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रूपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रूपये	-	5,00,000/- रूपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
31.	सिणगारी	24\13	1	शंकर राम	50,000/- रूपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रूपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा	25,000/- रूपये	-	5,00,000/- रूपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा	मकान


क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	खसरे में निर्मित मकान / स्ट्रक्चर की संख्या	प्रभावित व्यक्ति का नाम	देय हकदारी तत्व (Entitlement)						विशेष विवरण	
					कुटुम्ब को देय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि	आवंटित किये जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टि	जीवन निर्वाह भत्ता तथा परिवहन भत्ता	पशु शेड और छोटी दुकान के लिए देय विशिष्टियां	छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टि	प्रभावित परिवारो को रोजगार अथवा वार्षिकी का ब्यौरा		प्रदान की जाने वाली अन्य हकदारियों
						वर्गमीटर होगा।	50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु				किया जायेगा	
32.	सिणगारी	24\13	1	कन्ना राम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
33.	सिणगारी	24\13	1	सौना राम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	25,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान
34.	निम्बली ब्राह्मणान	120\5	1	विजय राम पुत्र चिमनराम	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	2,50,000/- रुपये	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	मकान व दुग्ध व्यापार हेतु पशुशेड
35.	निम्बली ब्राह्मणान	120\6	1	सुरेन्द्र चौधरी पुत्र	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक	2,50,000/-	-	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु	मकान व दुग्ध

क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	खसरे में निर्मित मकान / स्ट्रक्चर्स की संख्या	प्रभावित व्यक्ति का नाम	देय हकदारी तत्व (Entitlement)							विशेष विवरण	
					कुटुम्ब को देय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि	आवंटित किये जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टि	जीवन निर्वाह भत्ता तथा परिवहन भत्ता	पशु शेड और छोटी दुकान के लिए देय विशिष्टियां	छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टि	प्रभावित परिवारों को रोजगार अथवा वार्षिकी का ब्यौरा	प्रदान की जाने वाली अन्य हकदारियों		
				विजय राज		आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	3000/- रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	रुपये				देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	व्यापार हेतु पशुशेड

- क्रम संख्या 34 तथा 35 पर वर्णित हितबद्धधारियों द्वारा आवास स्थल पर बड़ा पशुशेड बनाकर दुग्ध व्यापार किया जा रहा है। अतः इनको पशुशेड के निर्माण हेतु 2,50,000/- रुपये का प्रावधान किया गया है।


 सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
 रीको पाली


 भूमि अवाप्ति अधिकारी
 डीएमआईसी प्रकोष्ठ रीको
 उद्योग भवन जयपुर


 वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
 रीको पाली

प्रारूप ड्राफ्ट स्कीम के अनुसार विस्थापित एवं प्रभावित होने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सूची एवं उन्हें देय हकदारी (Entitlement) निम्न प्रकार से हैं:-

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में आने वाले पूर्णतः विस्थापित व्यापारिक प्रतिष्ठानों का विवरण:-

क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	खसरे में निर्मित मकान / स्ट्रक्चरर्स की संख्या	प्रभावित व्यक्ति का नाम	देय हकदारी तत्व (Entitlement)							विशेष विवरण
					कुटुम्ब को देय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि	आवंटित किये जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टि	जीवन निर्वाह भत्ता तथा परिवहन भत्ता	पशु शेड और छोटी दुकान के लिए देय विशिष्टियां	छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टि	प्रभावित परिवारों को रोजगार अथवा वार्षिकी का ब्यौरा	प्रदान की जाने वाली अन्य हकदारियाँ	
36.	रोहट	512/12	1	जगदीश चन्द्र पुत्र बन्सी लाल कंसारा	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	1,00,000/- रुपये	1,50,000/- रुपये	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	ढाबा व छोटी दुकान
37.	रोहट	733/3	1	सुरेन्द्र कुमार पुत्र पन्ना लाल	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	1,00,000/- रुपये	1,50,000/- रुपये	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	अस्तबल (Stud farm)
38.	सिणगारी	21/1, 21/2, 21/3, 21/4	1	हरीश कुमार महेश्वरी पुत्र श्री वल्लभ महेश्वरी, कृष्णकुंज,	50,000/- रुपये	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत निर्मित मकान जिसका क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर होगा।	अधिनिर्णय की दिनांक से एक वर्ष तक 3000/- रुपये प्रतिमाह निवार्य भत्ते के रूप में तथा 50,000/- रुपये सामान के परिवहन हेतु	1,00,000/- रुपये	1,50,000/- रुपये	5,00,000/- रुपये	निर्मित मकान के रजिस्ट्रीकरण हेतु देय शुल्क का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जायेगा	क्रीश

M
सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

meals


भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी प्रकोष्ठ रीको
उद्योग भवन जायपुर


वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	खसरे में निर्मित मकान / स्ट्रक्चर्स की संख्या	प्रभावित व्यक्ति का नाम	देय हकदारी तत्व (Entitlement)							विशेष विवरण
					कुटुम्ब को देय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि	आवंटित किये जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टि	जीवन निर्वाह भत्ता तथा परिवहन भत्ता	पशु शेड और छोटी दुकान के लिए देय विशिष्टियां	छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टि	प्रभावित परिवारों को रोजगार अथवा वार्षिकी का ब्यौरा	प्रदान की जाने वाली अन्य हकदारियों	
				मोहनपुरा, जोधपुर 342001								

- क्रम संख्या 36, 37 व 38 पर वर्णित व्यक्तियों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के पूर्णतः विस्थापित होने के कारण एक बारगी 1,50,000/- रुपये का प्रावधान किया गया है।


 सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
 रीको पाली


 भूमि अवाप्ति अधिकारी
 डीएमआईसी प्रकोष्ठ रीको
 उद्योग भवन जयपुर


 वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
 रीको पाली

प्रारूप ड्राफ्ट स्कीम के अनुसार बेरोजगार व्यक्तियों की सूची एवं उन्हे देय हकदारी (Entitlement) निम्न प्रकार से हैं:-

पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम में आने वाले बेरोजगार व्यक्तियों की सूची एवं उन्हे देय हकदारी तत्वों का विवरण:-

क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	प्रभावित व्यक्ति का नाम	देय हकदारी तत्व (Entitlement)							विशेष विवरण
				कुटुम्ब को देय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि	आवंटित किये जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टि	जीवन निर्वाह भत्ता तथा परिवहन भत्ता	पशु शेड और छोटी दुकान के लिए देय विशिष्टियां	छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टि	प्रभावित परिवारो को रोजगार अथवा वार्षिकी का ब्यौरा	प्रदान की जाने वाली अन्य हकदारियाँ	
1.	सिणगारी	21/1, 21/2, 21/3, 21/4	मोहन लाल पुत्र रामकिशन	50,000/- रुपये	-	-	-	-	5,00,000/- रुपये	-	क्रेशर पर रोजगार में संलग्न
2.	सिणगारी	21/1, 21/2, 21/3, 21/4	बबूलाल पुत्र रामकिशन	-	-	-	-	-	-	-	क्रेशर पर रोजगार में संलग्न
3.	सिणगारी	21/1, 21/2, 21/3, 21/4	सीदाराम पुत्र रामकिशन	50,000/- रुपये	-	-	-	-	5,00,000/- रुपये	-	क्रेशर पर रोजगार में संलग्न
4.	सिणगारी	21/1, 21/2, 21/3, 21/4	हनुमानलाल पुत्र जसाराम	50,000/- रुपये	-	-	-	-	5,00,000/- रुपये	-	क्रेशर पर रोजगार में संलग्न
5.	रोहट	512/12	जगदीशचन्द्र पुत्र बंसीलाल	-	-	-	-	-	-	-	ढाबे पर रोजगार में संलग्न
6.	रोहट	512/12	प्रदीप कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र	50,000/- रुपये	-	-	-	-	5,00,000/- रुपये	-	ढाबे पर रोजगार में संलग्न
7.	रोहट	512/12	राजेन्द्र	50,000/-	-	-	-	-	5,00,000/-	-	ढाबे पर

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली


मूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी प्रकोष्ठ रीको
सद्योग भवन जयपुर


वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली

क्र.सं.	गाँव का नाम	खसरा नम्बर	प्रभावित व्यक्ति का नाम	देय हकदारी तत्व (Entitlement)						विशेष विवरण
				कुटुम्ब को देय पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन राशि	आवंटित किये जाने वाले गृह स्थल और गृह की विशिष्टि	जीवन निर्वाह भत्ता तथा परिवहन भत्ता	पशु शेड और छोटी दुकान के लिए देय विशिष्टियां	छोटे व्यापारियों के लिए एक बारगी रकम की विशिष्टि	प्रभावित परिवारों को रोजगार अथवा वार्षिकी का ब्यौरा	
			कंसारा पुत्र जगदीश चन्द्र	रूपये					रूपये	रोजगार में संलग्न

- क्रम संख्या 2 तथा 5 पर वर्णित व्यक्तियों को पूर्व में रोजगार अथवा वार्षिकी हेतु राशि का प्रावधान किया जा चुका है।


सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक
रीको पाली


भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी प्रकोष्ठ रीको
उद्योग भवन जयपुर



वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक
रीको पाली


तीसरी अनुसूची
[धाराएं 32(2), 38(1) और 105(3) देखिए]
अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपबंध

प्रारूप ड्राफ्ट स्कीम के अनुसार पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में उपलब्ध करवाये जाने वाले सरकारी भवनों तथा लोक सुख-सुविधाओं एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु 10.06 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, उपलब्ध करवाये जाने वाली अवसंरचनाओं की सूची निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	उपलब्ध करवाये जाने वाला सरकारी भवन तथा लोक सुख-सुविधाओं एवं अवसंरचनाओं की सूची	अनुमानित खर्च	विशेष विवरण
1.	विस्थापन की दशा में आवासन इकाईयों की व्यवस्था	(1) यदि ग्रामीण में किसी मकान से वंचित किया जाता है, तो इन्दिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा। यदि शहरी क्षेत्रों में किसी मकान से वंचित किया जाता है तो एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।	निर्मित आवास प्रदान करने हेतु रुपये 340.07 लाख का प्रावधान किया गया है।
2.	सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुम्बों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़कों और पक्की सड़क के समीपस्था सभी मौसमों में उपयुक्त सड़क-लिंक और मार्गाधिकार तथा सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।	चिन्हित भूमि तहसील-रोहट के ग्राम दूदली के खसरा संख्या 156 पर स्थित है। पुनर्व्यवस्थापित कुटुम्बों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर पक्की सड़क हेतु रूपए 48.22 लाख का प्रावधान किया गया है।	5.50 मीटर चौड़ी एवं 800 मीटर लम्बी डामर सड़क का निर्माण कार्य एवं रूपए 15.28 लाख का पुलिया निर्माण कार्य।
3.	वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पूर्व उचित जल निकासी और स्वच्छता योजनाओं का निष्पादन किया जाना।	उचित जल निकासी हेतु नाली निर्माण के लिए रूपए 63.79 लाख का प्रावधान रखा गया है एवं स्वच्छता योजना हेतु 517 वर्गमीटर भूमि आरक्षित की गई है।	450X600 mm की 2000 मीटर सीमेन्ट कंक्रीट नालियों का निर्माण कार्य।


 सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
 रीको पाली


 भूमि अवाप्ति आधिकारी
 डीएमआईसी प्रकौष्ठ रीको
 उद्योग भवन जयपुर


 वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
 रीको पाली

4.	भारत सरकार द्वारा विहित सन्नियमों के अनुसार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए सुरक्षित पेय जल के एक या अधिक आशवासित स्रोत।	पेयजल हेतु 349 वर्गमीटर भूमि आरक्षित की गयी है एवं रुपये 94.68 लाख का प्रावधान रखा गया है।	पेयजल व्यवस्था जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।
5.	पशुओं के लिए पेय जल की व्यवस्था	पशुओं के पेयजल की व्यवस्था हेतु 750 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की गई है एवं रुपये 25 लाख का प्रावधान किया गया है।	-
6.	उचित कीमत दुकान की युक्तियुक्त संख्या	व्यवसायिक भूखण्ड हेतु 743 वर्गमीटर एवं दुकानों हेतु 248 वर्गमीटर भूमि आरक्षित की गई है एवं रुपये 10.06 लाख का प्रावधान किया गया है।	-
7.	विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र-शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।	चिन्हित भूमि खसरा संख्या 156 ग्राम दूदली, तहसील-रोहट, जिला-पाली में स्थित है। सार्वजनिक परिवहन सुविधा हेतु 74 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की गई है।	-
8.	स्थल पर रहने वाले जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान घाट	कब्रिस्तान हेतु 558 वर्गमीटर एवं श्मशान घाट हेतु 1429 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की गई है।	-
9.	स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिनके अन्तर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन स्थल।	प्रसाधन स्थल हेतु 374 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की गई है एवं रुपये 47.11 लाख का प्रावधान किया गया है।	-
10.	प्रत्येक गृहस्थी के लिए और सार्वजनिक	प्रत्येक गृहस्थी एवं सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था हेतु	-

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली


भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी प्रकोष्ठ रीको
जयपुर


वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली


	प्रकाश व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर उर्जा के गैर-परम्परागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)	रूपए 100 लाख का प्रावधान रखा गया है।	
11.	शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी।	आंगनबाड़ी हेतु 666 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की गई है एवं रूपये 41.94 लाख का प्रावधान किया गया है।	-
12.	दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र	उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 743 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की गई है।	-
13.	बच्चों के लिए क्रीडास्थल	क्रीडास्थल हेतु 2012 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की गई है एवं रूपये 40 लाख का प्रावधान किया गया है।	-
14.	प्रत्येक सौ कुटुम्बों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र	सामुदायिक केन्द्र हेतु 1188 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की गई है।	-
15.	सन्नियमों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र	पशुपालन सेवा केन्द्र हेतु 653 वर्गमीटर भूमि चिन्हित की गई है।	-

उक्त विस्थापित एवं प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु धारा 16 सपठित अनुसूची 2 के अन्तर्गत यह प्रारूप पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार की गई है, जिसका क्रियान्वयन धारा 16 (3) के प्रावधानों के अनुसार धारा 31 के अन्तर्गत अधिनिर्णय पारित किये जाने के 6 माह से 2 वर्ष की समायावधि में किया जावेगा।


सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली


भूमि अवाप्ति अधिकारी
डीएमआईसी प्रकोष्ठ रीको
उद्योग भवन जयपुर


वारेण्ड क्षेत्रीय प्रबंधक
रीको पाली


(डॉ. नीलम मीणा)
भूमि अवाप्ति अधिकारी, डीएमआईसी (रीको) सह
प्रशासक पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन
अवाप्ति क्षेत्र रोहट तहसील